204/18

1 पेश हुई। वकील वादीगण/प्रतिवादी
2 । मौजूदगी अधिवक्ता अन्य
3/ प्रार्थना पत्र है। पत्रावली नस्ती
18/5/18 को पेश हो।

17/5/18 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत-योजना अधीन वर्ष 2018 विचार में पेश हुई पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर अर्जी/वादी तायफल के [illegible] प्रतिलिपि [illegible] पेश हुई है अतः प्रकरण को वापिस नहीं लगाया जाता है [illegible] पत्रावली का अवलोकन किया। अर्जी/वादी संयोजन के [illegible] राजस्व वाद को खारिज किया जाता है अतः पत्रावली फैसल किया होकर वाद तकमील दफ्तर हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official